प्राधिकृत मानचित्र विक्रेताओं [Authorized Map Sale (AMS) Agents] के लिए revised Terms & Conditions निम्न प्रकार निर्धारित किए जाते हैं –

(1) प्राधिकृत मानचित्र विक्रेता (AMS एजेण्ट) की नियुक्ति हेतु भारत के विभिन्न शहरों में कार्यरत बुक स्टोर / स्टेशनरी स्टोर आदि reputed firms के आवेदन पर ही विचार किया जाएगा और इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी स्थिति में individual person को एजेण्ट नहीं नियुक्त किया जाएगा।

(2) एजेण्ट की नियुक्ति हेतु महासर्वेक्षक कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों अर्थात पिछले 3 वर्षों की आयकर/VAT return, PAN Card एवं मतदाता पहचान पत्र आदि की संवीक्षा करने के उपरान्त महासर्वेक्षक कार्यालय आवेदन को अनुमोदित करेगा। उसके उपरांत विभाग की ओर से मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र द्वारा एक प्रमाण पत्र (लेमिनेट करवा कर) एजेण्ट को जारी किया जाएगा। जिस पर एक unique एजेन्सी कोड दर्ज हो, जिसे एजेण्ट अपनी दुकान/प्रतिष्ठान की दीवार पर display कर सके।

(3) एजेण्ट के तौर पर नियुक्ति life time के लिए होगी, भविष्य में यदि कोई एजेण्ट हमारे उत्पाद विक्रय नहीं करना चाहता तो उसे लिखित तौर पर कारण सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र आवेदन प्राप्त होने पर उस प्राधिकृत मानचित्र विक्रेता की नियुक्ति निरस्त करेगा और विभागीय वेबसाइट सहित महासर्वेक्षक कार्यालय को सूचित करेगा। ऐसी स्थिति में यदि उस एजेण्ट के पास हमारे उत्पाद का unsold stock उपलब्ध है तो विभाग उसे किसी भी स्थिति में वापिस नहीं लेगा।

(4) एजेण्ट, अपना एजेन्सी कोड बता कर, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र ही नहीं, विभाग के किसी भी केन्द्र से उपलब्धता अनुसार रियायती दरों पर विक्रय हेतु मानचित्र सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

(5) एजेण्ट को मानचित्र के मुद्रित मूल्य (जो कि प्रत्येक वित्तीय / कलेण्डर वर्ष में revise होता है) पर छूट लेने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उसे वांछित मानचित्रों की कम से कम 5 प्रतियाँ अवश्य लेनी होंगी। जिसकी गणना निम्न प्रकार से की जाएगी - प्रथम 500 मानचित्रों की खरीद पर 25% छूट तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 मानचित्रों की खरीद पर 1% छूट की बढ़त दी जाए, जिसकी अधिकतम सीमा 33% रहेगी ।

(6) एजेण्ट को छूट केवल विभाग द्वारा मुद्रित अप्रतिबंधित मानचित्रों की खरीद पर ही मिलेगी। वर्तमान में विभाग द्वारा प्रकाशित अंकीय उत्पादों (Digital products, scan एवं .pdf डाटा इत्यादि) पर एजेण्ट को छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(7) एजेण्ट को छूट, प्रस्तुत मांग पत्र में वर्णित मानचित्रों की संख्या के आधार पर न मिलकर, आपूर्ति किए गए मानचित्रों की संख्या के अनुसार पर ही मिलेगी ।

(8) VAT / Sale Tax / Service Tax एवं इनके surcharge / education cess आदि जो भी लागू हों, वह एजेण्ट द्वारा ही वहन किए जाएगे।

(9) 500 या अधिक मुद्रित मानचित्रों की आपूर्ति के दौरान होने वाला Packing / Transportation / Courier charges आदि जो भी लागू हों, वह विभाग द्वारा वहन किए जाएगे। Transportation के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

(10) एजेण्ट मुद्रित मूल्य से अधिक पर मानचित्र को विक्रय नहीं कर सकता। यदि एजेण्ट किसी मानचित्र को Lamination अथवा Cloth Mounting करवा कर अधिक मूल्य पर विक्रय करना चाहता है तो वह इस बाबत मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करेगा, अन्यथा ऐसे एजेण्ट की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र के पास सुरक्षित होगा।

(11) मानचित्रों के नवीन संस्करण मुद्रित होने के उपरांत, यदि एजेण्ट चाहे तो पुराने संस्करण का शेष unsold स्टॉक विभाग को वापिस देकर, नये मुद्रित मानचित्रों की आपूर्ति ले सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में मूल्यों का अंतर तथा Packing / Transportation / Courier charges आदि जो भी लागू हों, वह एजेण्ट द्वारा ही वहन किए जाएंगे।

(12) 1:250,000 और उससे बड़े पैमाने के सभी मानचित्रों का किसी भी माध्यम से देश से बाहर निर्यात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्व विभाग की दिनांक 4 मई 1963 की अधिसूचना सं॰ 118&Cus/F.No. 21/5/62-Cus, I/VII के अन्तर्गत निषिद्ध है। यह केवल भारतीय व्यक्तियों, संगठनो, निकायों आदि को ही जारी किए जाएंगे। एजेण्ट सुरक्षा कारणों से मानचित्रों की विक्री के दौरान इस बावत पूर्णतया सावधानी बरतेंगे।

(13) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों की विक्री हेतु एजेण्ट अपने अधीनस्थ उप-एजेण्ट नहीं बना सकता।

(प्राधिकार SGO's No. त- 445 / 1183 –मैप सेल एजेण्ट / संग्रह 14 दिनांक 09 फरवरी 2015)